



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022026-270295
CG-DL-E-19022026-270295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 822]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 822]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 862(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5657 (अ), तारीख 08 दिसंबर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 (इ) के 70.682 कि.मी. से 138.352 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करके / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 19/12/2025 को दैनिक “समाचार” (मराठी) और दैनिक “टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 (इ) के (महाराष्ट्र सेक्शन) चैनेज कि.मी. 70.682 से कि.मी. 138.352 के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दक्षिण सोलापूर					
गांव का नाम: वलसंग					
1	23/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.14	रामभाऊ मासू आलापे, मीना शाम धोत्रे, सुमन शेटीबा चौगुले, लता रमेश चौगुले 23/1
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: अक्कलकोट					
2	525/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.5	कल्पना संजय गायकवाड, रोहित प्रकाश धनके, रोहित अपाक आई सरुबाई धनके, विजय चंद्रकांत धनके, सरुबाई बाबुराव धनके, वंदना सुनील पिंगळे, स्वामीराव माणिकराव धनके 525/1
Total				0.64	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 862(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5657 (E) dated the 08 Decemeber, 2025, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for building (widening / four - laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 150 (E) in the stretch of land from Km. 70+682 to Km. 138+352 (Maharashtra Section) in the district Solapur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said Notification has been published in Daily Sanchar (Marathi) and Daily Times of India (English) both dated the 19/12/2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 70.682 to Km. 138.352 (Maharashtra Section) of the National Highway No. 150 (E) in state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Solapur South					
Village: Valsang					
1	23/1	Private	Agriculture	0.14	Rambhau Masu Aalape, Meena Sham Dhotre, Suman Sheetiba Chaugule, Lata Ramesh Chaugule 23/1

Taluk: Akkalkot					
Village: Akkalkot					
2	525/1	Private	Agriculture	0.5	Kalpna Sanjay Gaikwad, Rohit Prakash Dhanke, Rohit M.G. Mother Sarubai Dhanke, Vijay Chandrakant Dhanke, Sarubai Baburao Dhanke, Vandana Sunil Pingale, Swamirao Manikrao Dhanke 525/1
Total				0.64	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director